न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 7/2022
आरसीएमएस नम्बर : 2022/23

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी :–**
कानाराम पुत्र कुशालराम जाति सीरवी, निवासी सियाट तह.सोजत जिला पाली (राज.)		ग्राम पंचायत सोजत रोड़ जरिये सरपंच व सचिव (ग्राम विकास अधिकारी)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय ओझा
अप्रार्थी अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31.03.2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सोजत रोड़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कायम मिसल संख्या 505/1985–86 की पालना में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.09.1986 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा भुखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत सोजत रोड़ के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 505/1985–86 दिनांक 26.12.1985 को कायम की गई। प्रार्थी एक वृद्ध अनपढ़ एवं गरीब व्यक्ति है। ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में भारी भूल की है। इस पट्टे में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पिता का नाम कुशालराम अंकित होना चाहिए था लेकिन पिता के नाम के स्थान पर प्रार्थी के पुत्र शिवाजी का नाम अंकित हो गया तथा यह भूल पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र लिखने वाले व्यक्ति की रही जिससे कानाराम पुत्र कुशालराम के स्थान पर कानाराम पुत्र शिवाजी अंकित हो गया साथ ही इस पट्टे में आस पास के पड़ौस दर्शित नही किये गये तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर भी नही किये गये इसलिए प्रार्थी के नाम जारी यह पट्टा पंचायत अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों व नियमों की पालना के अभाव मे पारित किया गया जो आज्ञा विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को ग्राम पचांयत सोजत रोड़ द्वारा सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया तथा न ही कोई नोटिस जारी किया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन ढंग से नही किया गया, कौनसी तीन पंचो की क्या रिपोर्ट रही इसकी मौका रिपोर्ट नही थी। प्रार्थी का पुश्तैनी, कब्जाशुदा, मालिकाना हक का मकान आज भी स्थित है लेकिन पट्टे में पिता का नाम सही नही होने, आस पड़ौस का अंकन नही होने व ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही होने से प्रार्थी इस पट्टे को निरस्त करवाये बिना दुसरा पट्टा भी नही बना सकता। इसलिए व्यथित होकर उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की है। अतः निगरानी स्वीकार कराकर ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 505/1985–86 की पालना में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 5.9.1986 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा प्रार्थी स्वयं अपने नाम जारी पट्टे को निरस्त करवाना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की पालना में जारी किया है या नहीं। मूल रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस पट्टे में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पिता का नाम कुशालराम अंकित होना चाहिए था लेकिन पिता के नाम के स्थान पर प्रार्थी के पुत्र शिवाजी का नाम अंकित हो गया। यह भूल पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र लिखने वाले व्यक्ति की रही जिससे कानाराम पुत्र कुशालराम के स्थान पर कानाराम पुत्र शिवाजी अंकित हो गया। साथ ही इस पट्टे में आस पास के पड़ौस दर्शित नही किये गये तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर भी नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, वह पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुरूप नही होने से जैर निगरनानी पट्टे को यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 505/1985–86 की पालना में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 5.9.1986 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत सोजत रोड़ को भिजवाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली